<u>कार्यालय जिला प्रोबेशन अधिकारी, हरिद्वार।</u>

कार्यालयाध्यक्ष का नामः— मीना बिष्ट
मोबाईल नं0ः— 9456312664
कार्यालय कक्ष संख्याः— 36 प्रथम तल
कार्यालय की ई—मेल आई0डी0ः— dswohdr@gmail.com

<u>जनसामान्य हेतु चलायी जा रही जनकल्याणकारी योजनाओं का संक्षिप्त विवरण।</u>

1. **<u>निराश्रित विधवाओं को सहायक अनुदानः—</u>** 60 वर्ष से कम आयु की ऐसी निराश्रित विधवा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो अथवा जिसकी मासिक आय रू0 4000/— तक हो, को विधवा पेंशन के रूप में शासन द्वारा 800/— रू0 प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान है।

2. **<u>विधवा से विवाह करने पर दम्पत्ति को पुरस्कारः—</u>** 35 वर्ष से कम आयु की विधवा से विवाह करने पर आयकरदाता न होने की स्थिति में दम्पत्ति को शासन द्वारा 11000/— रू0 पुरस्कार दिये जाने का प्राविधान है।

3. **<u>परित्यक्त विवाहित महिला, निराश्रित अविवाहित महिला एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों की पत्नी को अनुदानः—</u>** 35 वर्ष से 60 वर्ष के बीच की ऐसी महिला जिसको शादी के बाद पति द्वारा छोडे जाने का कम से कम समय 7 वर्ष व्यतीत हो गया हो, को 800/— रू0 प्रतिमाह अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

40 वर्ष से 60 वर्ष तक की ऐसी महिला जिसकी किन्ही कारणवश शादी नहीं हो पाती है, को 800/— रू0 प्रतिमाह अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

18 वर्ष से 60 वर्ष तक की ऐसी महिला जिनके पति मानसिक रूप से विक्षिप्त हों, को 800/— रू0 प्रतिमाह अनुदान दिये जाने का प्राविधान है।

उक्त योजना हेतु बी0पी0एल0 श्रेणी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 15976/— तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21206/— वार्षिक आय से अधिक न हों।

4. **<u>गौरा देवी कन्याधन योजना (सामान्य जाति)ः—</u>** बी0पी0एल0 श्रेणी अथवा ग्रामीण क्षेत्र में रू0 15,976/— तथा शहरी क्षेत्र में रू0 21,206/— वार्षिक आय वर्ग के परिवार की बालिका के द्वारा इण्टर की परीक्षा उत्तीर्ण करने पर रू0 50,000/— की एन0एस0सी0/एफ0डी0 प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

(मीना बिष्ट)
जिला प्रोबेशन अधिकारी,
हरिद्वार।